

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 959]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/फाल्गुन 10, 1940

No. 959]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/ PHALGUNA 10, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2019

का.आ. 1093(अ).—केंद्रीय सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का. आ. 972 (अ), तारीख 21 फरवरी, 2019 के तहत प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, अनुच्छेद 3 को निम्नवत् पढ़ा जाए:-

“गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की निबंधन और शर्तें उक्त नियमों के नियम 4 में विनिर्दिष्ट की जाएंगी। क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 930 (अ), तारीख 20 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित पूर्व की अधिसूचना की अवधि समाप्त होने की तारीख से प्रभावी होगा”।

[फा. सं. 6-17/2014-आरओएचक्यू]

शैवाल दासगुप्ता, अपर वन महानिदेशक (वन संरक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

(REGIONAL OFFICES HEADQUARTERS DIVISION)

NOTIFICATION**New Delhi, the 28th February, 2019**

S.O. 1093 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 972(E), dated the 21st February, 2019, namely:-

2. In the said notification, paragraph 3 may be read as under:-

“The terms and conditions of appointment of non-official members shall be specified in rule 4 of the said rules. The tenure of the non-official members of the Regional Empowered Committee is with effect from the date of expiry of earlier notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 930 (E), dated the 20th March, 2017”.

[F. No. 6-17/ 2014- ROHQ]

SAIBAL DASGUPTA, Addl. Director General of Forests (Forest Conservation)